राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2022
में
अपील संख्या :– 292/2019

बदले सिंह (मृतक) जरिये पत्नी श्रीमती कृष्णा **–प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खोह, तहसील डीग, जिला भरतपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।

–अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.03.2022
आदेश की दिनांक : 10.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्म चन्द जैन, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील संख्या 292/2019 में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि राशि रूपये 75813/– अपीलार्थी को मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वापिस किए जावें और यह भी प्रार्थना की है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 11.02.2022 में शीर्षक (टाइटल) में परिवर्तन कर कानून उत्तराधिकारी (Legal Heir) का नाम अंकित किया जाए।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की गई थी कि आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2014 को अपास्त कर प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थी/अपीलार्थी की वेतन निर्धारण एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए तथा पेंशन परिलाभ, ग्रेच्युटी तथा लीव

एनकेश्मेण्ट आदि का भुगतान अंतिम वेतन के अनुसार किया जावे तथा उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए जावें और शेष राशि का भुगतान भी 18 प्रतिशत मय ब्याज से भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

उनका कथन है कि अपील आदेश दिनांक 11.02.2022 के द्वारा खारिज कर दी गई जबकि वसूली वाले मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी रफीक मसीह जैसे मामलों में विभाग द्वारा वसूली किया जाना अनुचित माना है। प्रार्थी/अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 01.05.2019 को अपील लम्बित होने के दौरान हो चुकी थी और प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कानून उत्तराधिकारी के नाम रिकार्ड पर अंकित किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत उस पर निर्णय हुए बिना अपील दिनांक 11.02.2022 को निर्णित कर दी गई।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि राशि रूपये 75813/– अपीलार्थी को मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वापिस किए जावें और यह भी प्रार्थना की है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 11.02.2022 में शीर्षक (टाइटल) में परिवर्तन कर कानून उत्तराधिकारी (Legal Heir) का नाम अंकित किया जाए।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 01.05.2019 को हो चुकी थी। परंतु अधिकरण द्वारा जारी अपील संख्या 292/2019 में आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस तथा अपील में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 11.02.2022 को आदेश जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी से वसूली किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग को 5 वर्ष से कम की अवधि में अर्थात् प्रार्थी/अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2013 से पूर्व दिनांक 30.04.2013 को ही हो गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के दिए गए निर्णय के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के उपरांत देय ग्रेच्युटी में से नियम विरूद्ध किए गए भुगतान रूपये 75813/– की

सही कटौती की गई है। इस प्रकार अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.02.2022 सही है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक अपील संख्या 292/2019 बदले सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में शीर्षक (टाइटल) में परिर्वतन कर कानून उत्तराधिकारी (Legal Heir) के नाम अंकित किए जाने का प्रश्न है, प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानून उत्तराधिकारी के नाम रिकार्ड पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी लेट श्री बदले सिंह की पत्नी श्रीमती कृष्णा है, जिनका नाम रिकार्ड पर लिए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य